an>

Title: Introduction of the Electricity (Amendment) Bill, 2016 (Substitution of new section for section 4).

श्री गोपाल शेही (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरताव करता हूं कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Electricity Act, 2003."

The motion was adopted.

भ्री गोपाल भेट्टी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं_।